

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:एफ 12( 156) विविध/आयो/आकाशि/2020/ ३८३-८ दिनांक ३१ अगस्त, 2020

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय :— दिव्यांगों के लिये अनुकूल एवं आधारभूत संरचना के संबंध में।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत "Persons with disabilities Act 1995" एवं NAAC Manual के अनुसार राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों के लिये लिफ्ट, रैप, ब्रेल सॉफ्टवेयर, सेपरेट टॉयलेट, स्काइब फॉर एग्जामिनेशन आदि सुविधा उपलब्ध करवायी जानी आवश्यक है।

अतः उक्त विषयक निर्देशित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालय में दिव्यांग अनुकूल आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

  
(संदेश नायक)  
निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज.जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
- 2 समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
- 3 संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 4 वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(डॉ. दीपाली भार्गव)  
संयुक्त निदेशक (आयोजना)  
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर